न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक -एक/2016

श्रीमती ज्योति पत्नि जिनेन्द्र कुमार जैन

पुत्री संतोष कुमार जैन निवासी कटरा

बाजार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदिका

विरुद्ध

1-अर्पित जैन 2- अभिषेख जैन

दोनों पुत्रगण नरेन्द्र जैन मझपुरा मोहल्ला नगर

टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(श्रीमान न्यायालय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3319-एक/2016 निग में पारित आदेश दिनॉक 7-10-2016 के विरुद्ध पुनरावलोकन अंतर्गत धारा 51 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959)

कृ0पृ030--2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 3974–एक/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. आदि के हस्ता.
20-1-17	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2219–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–10–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक एंव अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2219–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 7–10–16 का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आदेश दिनांक 7–10–16 के अवलोकन पर स्थिति स्पष्ट हुई कि :- 1. प्रकरण क्रमांक 2219–एक/2016 निगरानी में श्रीमती ज्योति जैन पत्नि जिनेन्द्र कुमार जैन है किन्तु उन्हें सूचना जारी किये बिना प्रकरण आदेश में नियत हो गया और आदेश दिनांक 7–10–16 पारित हुआ है। 2. आदेश दिनांक 7–10–16 के पद 2 में अनावेदक क्र–2 व्दारा राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा के समक्ष दिनांक 24–5–16 को चालान जमा कर सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया – लिखा गया है जबकि निगरानी मेमो में अनावेदक क्र–2 अंकन नहीं है।	

पुनरावलोकन प्र0क्र0 3974-एक/16

उक्तानुसार भूल प्रत्यक्षदर्शी भूल है जिसके कारण प्रकरण क्रमांक 2219-एक/2016 निगरानी में आदेश दिनांक 7-10-2016 दोषपूर्ण पारित होने की भूल हुई है , जो निगरानी मेमो में अंकित भ्रमित तथ्यों पर से होना प्रतीत होता है जिसके कारण प्रकरण क्रमांक 2219-एक/2016 निगरानी में आदेश दिनांक 7-10-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण क्रमांक 2219-एक/2016 निगरानी में आदेश दिनांक 7-10-2016 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा तहसील टीकमगढ़ के प्र.क्र. 62 अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-7-16 को यथावत् रखा जाता है। जहॉ तक पुनरावलोकन कर्ता व्दारा कराये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 26-7-16 से अनावेदकगण की भूमि पर यदि प्रभाव पड़ा है अनावेदकगण स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र हैं। तद्नुसार पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य